(ग) क्या यह सच है कि उपमहाप्रबंधक के निजी सचिव ने सूचित किया है कि सुपर बाजार में महाप्रबंधक ने सांसदों के पत्रों का उत्तर देने और उनके संबंध में रसीद/पावती भेजने की कोई व्यवस्था नही की है और क्या यह भी सच है कि सुपर बाजार मे सहायक प्रबंधक (कार्मिक) और महाप्रबंधक तथा उपमहाप्रबंधक के निजी सचिवों द्वारा सांसदों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या कर्मचारियो के विरुद्ध कार्यवाही करने संबंधी प्रत्येक मामले मे उपमहाप्रबंधक द्वारा सांसदो को व्यक्तिगत रूप से बुलाया जाता है और इस प्रकार उनका अपमान किया जा रहा है तथा इस प्रक्रिया में सासदों के पद की गरिमा को काफी हद तक क्षति पहुंचाई जाती है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) जी, हां ।

(ख) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि माननीय संसद सदस्यों द्वारा भेजे गए सभी पत्रो पर तुरन्त ध्यान दिया जाता है और की गई कार्यवाही के बारे में उत्तर भेजा जाता है ।

(ग) जी, नही ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) जी, नहीं ।

(च) (ङ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

सुपर बाजार के महाप्रबंधक को सांसदों से प्राप्त हुए पत्र

1692. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी** : क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994 के दौरान अब तक बिक्री सहायकों के स्थानान्तरण के संबंध मे सुपर बाजार के महाप्रबंधक को सांसदों से कितने पत्र प्राप्त हुए ,

(ख) सांसदों द्वारा कितने तथा किन-किन बिक्री सहायकों के बारे मे ऐसी सिफारिशे की गई थीं ;

(ग) सुपर बाजार के महाप्रबंधक द्वारा इस संबंध में अब तक क्या ठोस कार्यवाही की गई है ;

(घ) क्या यह सच है कि महाप्रबंधक और सहायक प्रबंधक ने एक सांसद के उन पत्रों की पावती देने से साफ इंकार कर दिया है जिनमें सांसद ने नियंत्रण कक्ष में तैनात एक महिला कर्मचारी के बारे में यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा था ;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या सरकार ने इस संबंध में हस्तक्षेप किया है अथवा हस्तक्षेप करने का विचार रखती है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) जनवरी, 1994 से 12 दिसम्बर, 1994 को अवधि के दौरान तीन पत्र प्राप्त हुए थे ।

(ख) और (ग) दो; (i) श्री अश्वनी कुमार, (ii) सुश्री एलिजाबेथ माइकल ।

सुपर बाजार ने सूचित किया है कि स्थिति माननीय संसद सदस्यों को स्पष्ट कर दी गई है ।

(घ) जी, नही ।

(ङ) और (च) ऊपर (घ) को देखते हुए प्रश्न नही उठता ।

सुपर बाजार द्वारा खरीदी गई वस्तुओं का मूल्य

1693. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी** : क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सुपर बाजार ने बिना कोई निविदा आमंत्रित किये अपने वस्त्र और फर्नीचर प्रभागों के लिए कुल कितनी धनराशि की वस्तुएं खरीदी हैं;

(ख) उक्त वस्तुएं किन-किन विनिर्माताओं/वितरकों से खरीदी गई थी;

(ग) क्या सुपर बाजार के वस्त्र और फर्नीचर प्रभागों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है और वहां कार्यरत कर्मचारियों और बिक्री सहायकों द्वारा ग्राहकों को लूटा जा रहा है और बिक्री-रसीदों में कीमतों के आंकड़ों में भारी हेरा-फेरी की जा रही है;

(घ) सुपर बाजार द्वारा बेचे जा रहे फर्नीचर और वस्त्रो के ब्रांड नाम क्या-क्या हैं और उनकी खरीद तथा बिक्री की दरें क्या-क्या हैं और गत तीन वर्षो के दौरान माहवार कितनी बार उनकी खरीद दरे संशोधित की गई, और इसके क्या कारण है; और

(ङ) सुपर बाजार को खुले बाजार की दरों से अधिक दरों पर माल की आपूर्ति करने वाले संभरको की संख्या कितनी है ?